कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 1276 /रेनुकूट/ 15–31 रेनकूट,दिनांक,अक्टुबर, 21 / ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक– 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वन भूमि **हे0 वन भूमि से संबंधित लीज डीड निष्पादन कराये जाने के संबंध में ।**

संदर्भः–

1– उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 966/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 15 जून 2019
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक– 2194/11–सी लखनऊ दिनांक– 16.06.2020
3– आपका पत्र संख्या– 5486/मी0/33 दिनांक– 19.06.2020
4– आपका पत्र संख्या– 336/मी0क्षे0/33 दिनांक– 22.07.2020
5– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 361/11 सी एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी/39403/2019 दिनांक– 17.08.2020
6– आपका पत्र संख्या– 645/मी0/33 दिनांक– 18.08.2020
7– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 1492/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 20.08.2020
8– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 410/11 सी एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी/39403/2019 दिनांक– 21.08.2020
9– आपका पत्र संख्या– 784/मी0/33 दिनांक– 26.08.2020
10– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 1492(2)/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 01.09.2020
11–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 498/11 सी एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी/39403/2019 दिनांक– 04.09.2020
12–आपका पत्र संख्या– 952/मी0/33 दिनांक– 07.09.2020
13–आपका पत्र संख्या– 968/मी0क्षे0/33 दिनांक– 07.09.2020
14– अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 1939/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 25.09.2020
15–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 984/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 26.09.2020
16– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 794/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी/39403/2019 लखनऊ दिनांक– 08.10.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उप सचिव उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 15.06.2019 में इंगित की गयी बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– 966/81–2–2020–911/1992 लखनऊ दिनांक– 15 जून 2019 में अंकित बिन्दुओ का विवरण ।	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मूल शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टाम्प डयूटी के निर्धारन हेतु

Scanned with CamScanner

	कराये एवं जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक–21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वन भूमि के लीज डीड की अवधि समाप्त हो चुकी है । पूर्व समय से लीज डीड सम्पन्न न होने के कारण वित्तीय हानि हो रही है । वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टाम्प डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त की जाय ।	प्रभाग द्वारा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन / सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र से अनुरोध किया गया था । सहायक महानिरीक्षक निबन्धन / सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–235 / स0म0नि0–सोन0 / 2020 दिनांक–13.10.2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निम्न प्रकार अवगत कराया गया है :– " पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 2009 से 2019 , 10 वर्षो के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया , 1,10,22,264.00 रू0 निर्धारित है तथा 12,24,69,600.00 रू0 का प्रिमियम निर्धारित किया गया है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद–35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 04 गुने अर्थात 4,40,89,056.00 व प्रिमियम की धनराशि 12,24,69,600.00 के योग पर 04 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा । उपरोक्त के अनुसार उक्त पट्टा विलेख का कुल मूल्य 16,65,58,656.00 रू0 होता है । जिस पर 04 प्रतिशत की दर से **रू0 66,62,347.00 का स्टाम्प शुल्क देय होगा** उपरोक्त विलेख एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए है । अतः भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–17 के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है । रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प शुल्क देयता हेतु निर्धारित धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देय होगा साथ में यह भी अवगत कराना है कि किसी भी विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क किसी बैंक में जमा नही होता है , बल्कि किसी भी विलेख पर स्टाम्प शुल्क विलेख की निषापादन की तिथि को या उसके पूर्व अदा करना होता है, वर्तमान में विलेख निष्पादित करते हसमय ई–स्टाम्प या नान ज्यूडिसियल फिजिकील स्टाम्प लेकर विलेख को निष्पादित कर पंजीकृत कराया जा सकता है" ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वस्तु स्थिति से उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को अवगत कराने की कृपा करें ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/
सहायक आयुकत स्टाम्प,
सोनभद्र।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट,
सोनभद्र।

पत्रांक :– 235 /स0म0नि0–सोन0/2020 दिनांक :– 13-10-2020

विषय :– जनपद सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल वार्ड के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा विभिन्न लीज डीड के माध्यम से विभिन्न वर्षो के लिए लीज पर दी गयी वन भूमि की लीज डीड पर स्टाम्प देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–984 अ/सम दिनांक 26.09.2020 व पत्र सं0–900, 901, 902 व 924 /रेनुकूट/15–31 दिनांक 21.09.2020 व उप निबन्धक दुद्धी को प्रेषित पत्र सं0–05/रेनुकूट/15–31 दिनांक 01.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभिन्न लीज डीड पर स्टाम्प देयता के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। परन्तु आपके पत्र के साथ लीड डीड का कोई विलेख उपलब्ध नही कराया गया था। इस कार्यालय के पत्र सं0–188/स0आ0स्टा0–सोन0/2020 दिनांक 16.09.2020 द्वारा सम्बन्धित लीज डीड विलेख को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 13.10.2020 को डिप्टी रेंजर द्वारा 04 लीज विलेख उपलब्ध कराये गये है, जिनका सम्यक् परीक्षण किया गया, सम्यक् परीक्षण के बाद उपलब्ध करायी गयी विभिन्न 04 लीज विलेखों में जो तथ्य वर्णित किये गये है, उसके अनुसार आप द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा–2(16) से आच्छादित है जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होता है, जिसके अनुसार विभिन्न चारों लीज विलेखों पर निम्नवत् स्टाम्प शुल्क देय होगा।

1– पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 2009 से 2019, 10वर्षो के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 1,10,22,264.00रू0 निर्धारित है तथा 12,24,69,600.00रू0 का प्रिमियम निर्धारित किया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद–35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 04गुने अर्थात 4,40,89,056.00रू0 व प्रिमियम की धनराशि 12,24,69,600.00रू0 के योग पर 04प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा। उपरोक्त के अनुसार उक्त पट्टा विलेख का कुल मूल्य 16,65,58,656.00रू0 होता है। जिस पर 04प्रतिशत की दर से **66,62,347.00रू0 का स्टाम्प शुल्क देय** होगा।

...........2...........

Scanned with CamScanner

2–पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व मेसर्स उ0प्र0रा0वि0प0 (उत्तर प्रदेश पावर ट्रानमिशन कारपोरेशन लिमिटेड वाराणसी) के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 1994 से 2014, 20वर्षो के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 2,42,892.00रू0 निर्धारित है तथा 24,28,920.00रू0 का प्रिमियम निर्धारित किया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद–35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 05गुने अर्थात 12,14,460.00रू0 व प्रिमियम की धनराशि 24,28,920.00 के योग पर 04प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा। उपरोक्त के अनुसार उक्त पट्टा विलेख का कुल मूल्य 36,43,380.00रू0 होता है। जिस पर 04प्रतिशत की दर से **1,45,736.00रू0 का स्टाम्प शुल्क** देय होगा।

3– पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0)के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 1989 से 2019, 30वर्षो के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 17,733.00रू0 निर्धारित है भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद–35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 06गुने अर्थात 1,06,398रू0 पर 04प्रतिशत की दर से **4,256.00रू0 का स्टाम्प शुल्क** देय होगा।

4– पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी, मिर्जापुर के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 1976 से 2006, 30वर्षो के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 1.00रू0 निर्धारित है भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद–35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 06गुने अर्थात 06.00रू0 पर 04प्रतिशत की दर से **0.24रू0 परन्तु न्यूनतम 100रू0 का स्टाम्प शुल्क** देय होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी लीज विलेख एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए है। अतः भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–17 के अनुसार सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प शुल्क देयता हेतु निर्धारित धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देय होगा, साथ में यह भी अवगत कराना है कि किसी भी विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क किसी बैंक में जमा नही होता है, बल्कि किसी भी विलेख पर स्टाम्प शुल्क विलेख की निष्पादन की तिथि को या उसके पूर्व अदा करना होता है, वर्तमान में विलेख निष्पादित करते समय ई–स्टाम्प या नान ज्यूडिसियल फिजिकल स्टाम्प लेकर विलेख को निष्पादित कर पंजीकृत करा जा सकता है।

13/10/20

(भगवान सिंह)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/
सहायक आयुक्त स्टाम्प,
सोनभद्र।

फाइल सं. 15
पंजी.सं. 2399
दि. 17/10/20

R
17.10.2020

L.T

Scanned with CamScanner